



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1973/फाल्गुन 26, 1894

No. 56] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1973/PHALGUNA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th March 1973

SUBJECT.—*Extension of time-limit for fulfilment of counter-export obligation under Indo-Afghan Trade Arrangement, 1972-73.*

No. 37-ITC(PN)/73.—Attention of the trade is invited to para 12 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972, in terms of which the licensees were required to export to Afghanistan the goods listed in Schedule B-I and B-II, equivalent to the value of their imports, within a period of six months from the date of import or upto 28th February, 1973, whichever was earlier.

2. On a review of the position, and in partial modification of the aforesaid Public Notice it has been decided to extend the last date for fulfilment of the counter-export obligation, in the required proportion, from 28th February, 1973, to 31st May, 1973. The extension has been granted for the limited purpose of fulfilment of counter-export obligation, against imports already effected from Afghanistan upto 28th February, 1973; and cannot be utilised for entering into fresh import commitments. Failure to fulfil the counter-export obligation in the required proportion, by the crucial date i.e., 31st May, 1973, will render the importers concerned liable to penal action under the Imports and Exports Trade Control/Foreign Exchange orders, rules and regulations.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय
सार्वजनिक सूचना
आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1973

विषय.—भारत अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था, 1972-73 के अंतर्गत प्रति निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए समय सीमा में वृद्धि।

संख्या 37-आई० टी० सी० (पीएन)/72.—व्यापारियों का ध्यान विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 93 आई टी० सी० (पीएन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 के पैरा 12 की ओर दिलाया जाता है, जिस के अनुसार लाइसेंसधारी के लिए अपने आयातों के मूल्य के बराबर अनुसूची बी-1 और बी-2 में सूची बद्ध माल को आयात की तिथि से 6 महीनों की अवधि के भीतर या 28 फरवरी, 1973 तक इनमें जो भी पहले हो उस अवधि तक अफगानिस्तान को निर्यात करना आवश्यक था।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर और पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में आंशिक अशोधन करने पर प्रति निर्यात दायित्व को अपेक्षित अनुपात में पूरा करने के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी, 1973 से 31 मई, 1973 तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है। यह वृद्धि 28 फरवरी, 1973 तक अफगानिस्तान से पहले ही किए गए आयातों के प्रति प्रति-निर्यात दायित्व को पूरा करने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है और इसका उपयोग आयात की नई बचनबद्धता में प्रविष्ट के लिए नहीं किया जा सकता। निर्णीत तिथि अर्थात् 31 मई, 1973 तक अपेक्षित अनुपात में प्रति निर्यात दायित्व पूरा करने में असफल रहने पर सम्बद्ध आयातकों के विरुद्ध आयात तथा निर्यात नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनियम्य आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।